

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-452 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

नेलन कंडीर

राम सहाय पहान

विक्रेता
क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	विक्रेता क्रेता	आदेश गई कार बारे में तारीख
------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------------------

07.04.21

आदेश

आवेदक नेलन कंडीर पति स्व० विनोद कंडीर ग्राम-मैदान टोली (कदमा), पो०-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने राम सहाय पहान पिता बुधू पहान ग्राम-अनिगड़ा, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
चालम बरटोली	71	01	1142	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0234035986 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 302 दिनांक 26.03.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 140/142 दिनांक 14.02.90 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक लगान पाने वाले गोपीनाथ मांझी वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार विनोद मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का 0.20 एकड़ है। आवेदक के पास 0.20 एकड़ भूमि के आलावे अन्य मौजा अनिगड़ा खाता सं० 7 रकबा 2.61 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.81 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 2541.00(दो हजार पांच सौ एकतालीस)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.61 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नेलन कंडीर पति स्व० विनोद कंडीर को राम सहाय पहान पिता बुधू पहान के साथ ग्राम चालम बरटोली के खाता सं० 01 खेसरा संख्या 1142 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2541.00(दो हजार पांच सौ एकतालीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।